Registration of Farmers

Herbal Research and Development Institute is nodal agency of state government for the cultivation of medicinal and aromatic plants (MAPs) and overall development of MAPs sector in the state. After cultivation of medicinal plant it is necessary to register the farmer in HRDI to get further facility for cultivation. The registration of farmers / cultivators of medicnal plant in the institute is important and has following mandate:-

- State level data base preparation of MAPs cultivators
- To facilitate farmers/cultivators for training and other technical know how
- To facilitate farmers/cultivators for processing units and other benefits
- To facilitate farmers/cultivators for subsidy to particular crop
- To facilitate farmers/cultivators for trasit pass of MAP produce
- To facilitate good farmers/cultivators for government level awards/prizes
- To facilitate farmers/cultivators for marketing of MAP produce

After cultivation farmers can send his registration form to Director, HRDI, Gopeshwar either individually or through their motivative agency. After receiving registration form farmers will be registered in HRDI within one month.

Right now more than twenty thousands farmers are registered in HRDI i.e. more than twenty thousand farmers are involved in cultivation activities of MAPs within the stae.

Subsidy Form

जड़ी–बूटी कृषिकरण के अनुदान हेतु प्रारुप

1. नाम श्री / श्रीमती ..... पिता / पति का नाम.....
2. पता .....
   .....
3. सहयोगी / प्रतिनिधि संस्था का नाम.....
4. पंजीकरण संख्या..... कृषिकरण की प्रजाति.....
5. प्रयुक्त भूमि का क्षेत्रफल.....रोपण / बुआई की तिथि.....
6. क्या रोपण हेतु किसी संस्था / विभाग से निषुल्क पौध प्राप्त हुई है?.....
7. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली या किसी अन्य संस्था से अनुदान मिला है या नहीं ?.....
8. यदि अनुदान प्राप्त हुआ है तो कितनी धनराशि प्राप्त हुई है .....
9. जीवित पौधों की संख्या व प्रतिशत .....
10. फसल कटाई का अनुमानित माह व वर्ष .....
11. आवेदित अनुदान .....

(कृषक के हस्ताक्षर)

उक्त कृषक को मेरे द्वारा जड़ी–बूटी कृषिकरण हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा कृषक द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना सही है। स्थलीय निरीक्षण के आधार पर ..... प्रजाति के .... नाली / एकड़ कृषिकरण हेतु जिसकी जीवितता ..... प्रतिशत है, रु0 ....की अनुदान धनराशि स्वीकृत करने की संस्तुति की जाति है।

(सहयोगी / प्रतिनिधि संस्था का नाम व हस्ताक्षर)

उपरोक्तानुसार रु0 ..... की अनुदान धनराशि स्वीकृत की जाति है।

निदेशक,
जड़ी–बूटी शोध एंव विकास संस्थान
गोपेश्वर (चमोली)

जड़ी–बूटी शोध एंव विकास संस्थान, गोपेश्वर (चमोली)

पत्रांकः...../अनुदान/...../2010–11

दिनांक गोपेश्वर .....

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित –

1. श्री / श्रीमती ..... ग्राम ..... पो0..... ..... जिला .....
2. प्रोत्साहन / प्रतिनिधि संस्था का नाम .....
   .....

निदेशक,
जड़ी–बूटी शोध एंव विकास संस्थान
गोपेश्वर (चमोली)

Registration Form

जड़ी–बूटी कृषिकरण/नर्सरी कार्य हेतु कृषक पंजीकरण

1. नाम श्री/ श्रीमती ..... पिता/पति का नाम.....
2. ग्राम.....पो0.....
   .....विकास खण्ड.....जनपद.....
3. दूरभाश (यदि कोई हो).....
4. रेंज का नाम.....
5. सहयोगी/प्रतिनिधि संस्था का नाम.....

6. कृषिकरण/नर्सरी स्थापना का विवरण

I. चिन्हित प्रजाति/प्रजातियां.....
II. प्रयुक्त भूमि का क्षेत्रफल .....नाली खसरा नं0.....
III. भूमि की ऊँचाई.....फीट सिंचित/असिंचित भूमि.....
IV. रोपण/बुवाई तिथि..... पौधों की संख्या.....
V. फसल कटाई की अनुमानित तिथि.....
VI. प्रयोज्य अंग..... अनुमानित उपज (कि0ग्रा0).....

मैं ..... कृषिकरण या नर्सरी स्थापना के उत्पाद में वन क्षेत्र एकत्रित से जड़ी–बूटी को सम्मिलित नहीं करुंगा।

कृषक के हस्ताक्षर

उक्त कृषक को मेरे द्वारा जड़ी–बूटी कृषिकरण हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा समय–समय पर निरिक्षण कर समुचित तकनिकी सहायता प्रदान की जायेगी।

(सहयोगी/प्रतिनिधि संस्था का नाम व हस्ताक्षर)

पंजीकरण संख्या.....

पंजीकरण तिथि.....

पंजीकरण वैधता की अवधि.....

निदेशक,
जड़ी–बूटी शोध एंव विकास संस्थान
गोपेश्वर (चमोली)

कार्यालय, जड़ी–बूटी शोध एंव विकास संस्थान, गोपेश्वर (चमोली)

पत्रांकः...../पंजीकरण/.....दिनांक 2009–10

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित –

1. श्री/श्रीमती ..... ग्राम ..... पो0.....
   ..... जिला .....
2. सहयोगी/प्रतिनिधि संस्था का नाम .....
3. प्रभागीय वनाधिकारी.....
4. खण्ड विकास अधिकारी.....

निदेशक,
जड़ी–बूटी शोध एंव विकास संस्थान
गोपेश्वर (चमोली)